"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2002 चैत्र 13, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-13/2002/वा.क./पांच (42)— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-20-2000-विक.-पांच (19), दिनांक 3-3-2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

1. अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि 2 में कालम (2) में शब्द "फायर-ब्रिक्स" जोड़ा जायेगा .
2. यह संशोधन 1-4-2002 से प्रभावशील होगा .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-10-13/2002/वा.क./पांच (42)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-13/2002/वा.क./पांच (42), दिनांक 3-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd April 2002

NOTIFICATION

No. F-10-13/2002/CT/V (42).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. A-3-20-2000-ST-V(19), dated 3-3-2000, namely :-

AMENDMENT

1. In entry 2 in column (2) of Schedule to the notification word "Fire-Bricks" shall be added.

2. This amendment will be effective from 1-4-2002.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.